

प्रेषक,

बी0एम0मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
देहरादून।

40/2018
31/5/18

पशुपालन अनुभाग-01

दिनांक : 28 मई, 2018।

विषय : नागरिक अधिकार-पत्र (CITIZEN CHARTER) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-269/पशुधन-तीन/सिटीजन चार्टर/2018-19' दि0 17 अप्रैल, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पशुपालन विभाग के प्रस्तावित नागरिक अधिकार-पत्र (CITIZEN CHARTER) पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः उक्तानुसार की गई अपेक्षा के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु संलग्नानुसार नागरिक अधिकार-पत्र (CITIZEN CHARTER) अनुमोदित किया जाता है।

संलग्न : यथोपरि।



भवदीय,
(बी0एम0मिश्र)
अपर सचिव।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, नागरिक अधिकार पत्र :-

पशुपालन विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध पशुधन को उन्नतशील बनाने एवं उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर पशुपालक का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान कर पलायन को रोकना है। प्रदेश की आर्थिकी में पशुपालन एक प्रमुख घटक है, यह ग्रामीण, भूमिहीन, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिये जीविकोपार्जन तथा स्वावलम्बन का एक निरन्तर एवं पूरक साधन है। प्रदेश में पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण जीविकोपार्जन एवं अतिरिक्त आय सृजन हेतु असीमित संभावनायें हैं।

विभाग का उद्देश्य :-

- पशुओं का पशु रोगों से बचाव, रोकथाम एवं रोग उन्मूलन, रोग निदान एवं उपचार।
- दुग्ध, अंडा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक उत्थान एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता।
- पशु नस्ल सुधार।
- चारा विकास।
- पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन।
- पशुपालकों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता हेतु प्रेरित कर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना।

विभाग का दृष्टिकोण :-

पशुधन एवं कुक्कुट के सतत एवं स्थाई विकास द्वारा नागरिकों की पोषण सुरक्षा तथा समाज का आर्थिक विकास एवं पशुपालन से स्वरोजगार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकना।

विभाग का लक्ष्य :-

- पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु जन्य उत्पाद मे वृद्धि से आर्थिक उन्नयन।
- पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन।
- पशुपालन सम्बन्धी सेवाओं का प्रसार एवं विकास।
- पशुपालन से स्वरोजगार एवं स्वावलम्बन।

विभाग द्वारा प्रदत्त की जा रही प्रमुख सेवायें :-

- ❖ पशु चिकित्सा
- ❖ टीकाकरण
- ❖ कृत्रिम गर्भाधान एवं गर्भ परीक्षण
- ❖ बधियाकरण
- ❖ पशु स्वास्थ्य परीक्षण
- ❖ शव विच्छेदन
- ❖ प्राथमिक रोग निदान जांच
- ❖ चारा विकास
- ❖ गौपालन/बकरी पालन/भेड पालन/कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना
- ❖ पशुधन बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा योजना
- ❖ चारा बैंक
- ❖ ऊन कतरन एवं विपणन योजना



पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को प्रदत्त की जा रही सेवाओं तथा सेवा शुल्क की विस्तृत जानकारी :-

शासनादेश संख्या 352/XV-1/2005 टी0सी0 दिनांक 8 नवम्बर 2005, शासनादेश संख्या 103/XV-1/2011/7(81) 2005 दिनांक 23 मार्च 2011, शासनादेश संख्या 626/XV-1/2011/ 7(81) 2005 दिनांक 28 जुलाई 2011, शासनादेश संख्या 1026/XV-1/11 7(81) 05 दिनांक 14 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या 673/XV-1/15/ 7(81) 05 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुरूप

निर्धारित लेवी दरें :-

क्रम संख्या	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता संस्था	सेवा प्रदाता अधिकारी	सेवा शुल्क () यदि कोई हो	
1	प्राथमिक पशुचिकित्सा/पशु चिकित्सा	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0/ प0चि0अ0	बड़े पशु	10.00
				भेड़/बकरी/ सूअर	5.00
				कुत्ता/बिल्ली (शहरी क्षेत्रों हेतु)	40.00
				कुत्ता/बिल्ली (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)	10.00
				विधिक प्राधिकरण केस प्रापटी पशु	निःशुल्क
2	बधियाकरण	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0/ प0चि0अ0	बड़े पशु (मुख्यालय)	15.00
				बड़े पशु (लाभार्थी के द्वार पर)	25.00
				छोटे पशु (मुख्यालय)	10.00
				छोटे पशु (लाभार्थी के द्वार पर)	15.00

3	टीकाकरण	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय एवं शिविर स्थल पर टीकाकरण किया जाता है	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	आर0पी0 फाउल पॉक्स(एफ0पी0) / आर0डी0 स्वाइन फीवर एन्टेरोटाक्सिमिया शीप पॉक्स एच0एस0 / बी0क्यू0 एफ0एम0डी0 पी0पी0आर0	1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
4	कृत्रिम गर्भाधान (गाय / भैंस)	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	मुख्यालय पर पशु पालक के द्वार पर	60.00 / स्ट्रा 100.00 / स्ट्रा
5	स्वास्थ्य परीक्षण	पशु चिकित्सालय	प0चि0अ0	बड़ा पशु छोटा पशु	50.00 20.00
6	शव परीक्षण	पशु चिकित्सालय	प0चि0अ0	विधिक प्राधिकरण केस प्रापटी पशु बड़ा पशु छोटा पशु	निःशुल्क 100.00 20.00
7	जांच सेवायें	पशु चिकित्सालय	प0चि0अ0	विधिक प्राधिकरण केस प्रापटी पशु रक्त मल मूत्र	निःशुल्क 10.00 5.00 5.00
8	भेड़ों बकरियों में सामूहिक दवापान	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	100.00 प्रति 100 छोटे पशु	

9	भेड़ों बकरियों में सामूहिक दवास्नान	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	50.00 प्रति 100 छोटे पशु
10	X- Ray Large Film (Per Exposure, Size 17"X14"/15"X12")	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	50.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
11	X- Ray Small Film (Per Exposure, Size less than 15"X12")	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	40.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
12	Intra Veinous Pyelography (IVP) Per Exposure	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	100.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
13	Barium Meal Study (Per Exposure)	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	100.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
14	Ultrasound Report (Without Scan Print)	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	50.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
15	Ultrasound Report (With Scan Print, if available)	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	100.00 (प्रिंट के साथ रिपोर्ट पर शुल्क देय होगा)
16	भेड़ बकरी पालकों का पंजीकरण	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	निःशुल्क

नागरिक अधिकार पत्र के अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की समयवधि :-

क्रम संख्या	सेवा का विवरण	समयावधि
1	पशु चिकित्सालय पर पशुचिकित्सा	उसी कार्य दिवस मे
2	किसान के द्वार पर पशुचिकित्सा	24 घंटे के अन्दर
3	पशुचिकित्सालय पर टीकाकरण	उसी कार्य दिवस मे
4	पशुपालक के द्वार पर टीकाकरण	अनुरोध के एक सप्ताह के अन्दर
5	पशुचिकित्सालय पर बधियाकरण	उसी कार्य दिवस मे
6	पशुपालक के द्वार पर पशुओं का बधियाकरण	अनुरोध के एक सप्ताह के अन्दर
7	पशुचिकित्सालय पर कृत्रिम गर्भाधान	उसी कार्य दिवस मे
8	पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान	24 घंटे के अन्दर
9	पशुचिकित्सालय पर रोग अन्वेषण	जाँच की अवधि के अनुरूप
10	पशुचिकित्सालय पर दवापान/ दवास्नान	उसी कार्य दिवस मे
11	पशुपालक के द्वार पर पशुओं का दवापान/ दवास्नान	अनुरोध के एक सप्ताह के अन्दर
12	एक्सरे/ अल्ट्रासाउण्ड (केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर)	उसी कार्य दिवस मे



पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
विभागीय हैल्पलाइन नम्बर :- 0135- 2532854
कार्यावधि :- प्रत्येक कार्यदिवस मे प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00
बजे तक

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के राज्य एवं मंडल स्तरीय मुख्यालयों की सूची, दूरभाष एवं ई0 मेल आई. डी. :-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	दूरभाष संख्या	ई मेल आई. डी.
1	निदेशालय, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।	0135-2532809 / 2532909	dir-ah-uk@gov.in
2	मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद	0135-2532589 / 2532619	ceo_uldb@rediffmail.com
3	मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	0135-2532936 / 2532816	ceo.uswdb.uk@gov.in
4	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	05942-236204 / 236494	adahgarhwal@gmail.com
5	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।	01368-222480 / 223215	adahntl@yahoo.in

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के जनपद स्तरीय मुख्यालयों की सूची,
दूरभाष एवं ई0 मेल आई. डी.:-

1	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी देहरादून।	0135-2712572	cvoddn@gmail.com
2	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पौड़ी।	01368-223084	cvopaurigarhwal@gmail.com
3	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी टिहरी।	01378-227296 / 227687	cvotehri1@gmail.com
4	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी गोपेश्वर चमोली।	01372-252273 / 251542	cvogopeshwar@gmail.com
5	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी रूद्रप्रयाग।	01364-233251 / 233019	Cvo_rpg@rediffmail.com
6	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी।	01374-222320 / 224816	cvouttarkashi@gmail.com
7	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी हरिद्वार।	01334-239978	cvohardwar@gmail.com
8	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी नैनीताल।	05942-248367	nainitalcvo@gmail.com
9	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी ऊधमसिंहनगर।	05944-250264	cvousn@gmail.com
10	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा।	05962-232289	cvoalm@gmail.com
11	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़।	05964-225319 / 224166	cvophthoragarh@gmail.com
12	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी चम्पावत।	05965-230843 / 230593	cvo.champawat@rediffmail.com
13	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी बागेश्वर।	05963-221475	cvobageshwar@gmail.com



पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र
(Grievance Redressal Mechanism):-

(क) :- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रत्येक पदाभिहीत अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारियों का विवरण:-

क्रम संख्या	सेवा क्रम संख्या	सेवा का विवरण	पदाभिहीत अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	15	पशु बीमा हेतु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	सम्बन्धित क्षेत्र का पशु चिकित्सा अधिकारी	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सम्बन्धित जनपद का मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
2	16	बीमित पशु के शव की शव परीक्षण जांच रिपोर्ट (पशु शव की उपलब्धता पर) जारी करना			
3	17	दैवीय आपदा में पशु शव की उपलब्धता पर राक्षम को मृत पशु का शव परीक्षण/मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना			
4	18	वैट्रोलोगल केस में राक्षम को पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना			
5	19	वैट्रोलोगल केस में पशु शव की उपलब्धता पर राक्षम को पशु परीक्षण रिपोर्ट जारी करना			

(ख) :- अन्य सेवाओं हेतु स्थापित शिकायत निवारण तंत्र

किसी भी सूचना एवं विस्तृत जानकारी एवं सेवाओं हेतु सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी / खंड विकास स्तरीय पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 से सम्पर्क किया जा सकता है । पशुपालन विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिये विभागीय हैल्प लाइन नम्बर 0135-2532854 पर किसी भी कार्यालय दिवस मे प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। शिकायत के समाधान एवं सुझाव हेतु जिला स्तर सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मंडल स्तर पर गढ़वाल मंडल मे अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मंडल पौड़ी, दूरभाष संख्या 05942-236204 तथा कुमायूँ मंडल मे अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मंडल नैनीताल , दूरभाष संख्या 01368-222480 एवं राज्य स्तर पर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला रोड, देहरादून दूरभाष संख्या 0135-2532809 पर किसी भी कार्य दिवस मे सम्पर्क किया जा सकता है ।

नागरिक / जन सामान्य / NGO / Civil Society / Stakeholder / Beneficiary
आदि अपने सुझाव अधोलिखित अधिकारी को उपलब्ध करा सकते है :-

डा० एस० के० बिंजोला, संयुक्त निदेशक

नोडल अधिकारी, सेवा का अधिकार अधिनियम 2011

पशुधन भवन, मोथरोवाला रोड, देहरादून

दूरभाष संख्या 0135-2532809

email Id :- jdanf-ah-uk@gov.in